31-01-2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि यह निगरानी आवेदन, अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली के विरुद्ध ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा जामताराम पुत्र समरथा जी, जाति– राव, निवासी– गोयली के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 4.10.2021 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं इस निगरानी आवेदन में उक्त श्री जामताराम पुत्र समरथा जी, जाति– राव, निवासी– गोयली को बतौर प्रार्थी पक्षकार बनाते हुए उक्त श्री जामताराम के पुत्र दिनेश कुमार राव ने निगरानी आवेदन में हस्ताक्षर करके अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार उक्त श्री जामताराम पुत्र समरथा जी, जाति– राव की मृत्यु यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत होने से पूर्व ही हो चुकी है। इस प्रकार, यह निगरानी आवेदन पक्षकारों के कुंसयोजन के कारण एवं मृत व्यक्ति को बतौर प्रार्थी पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत किया गया है, जो विधि अनुसार परिपोषणीय नही है। अतः हस्तगत निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी खारिज किया जाता है। यदि संबंधित हितबद्ध व्यक्ति चाहे तो पुनः निगरानी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)